पत्रांक–04 / शहरी जलापूर्ति–18–09 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में नगर निगम, भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–02 के शेष बचे हुए कार्यों को राज्य योजना मद से पूर्ण कराने हेतु स्वीकृत योजना के विरूद्ध देनदारी की राशि ₹11967.00 लाख (एक सौ उनीस करोड़ सड़सठ लाख रूपये) मात्र में से राज्य योजना मद से तत्काल राशि ₹3200.00 लाख (बत्तीस करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति।

आदेशः **स्वीकृत।**

राज्य में जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नगर निगम, भागलपुर में एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हुए विभागीय संकल्प संख्या–2020 दिनांक–04.09.2017 द्वारा भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–02 को कुल $38.42 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग ₹253.57 करोड़) लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के उपक्रम बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन पर अब तक ₹134.215 करोड़ व्यय किया जा चुका है। विभागीय संकल्प–1947, दिनांक–02.05.2023 द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–2 की लोन अवधि समाप्त होने के उपरांत अवशेष कार्यों का वर्तमान अनुमानित लागत ₹331.35 करोड़ (तीन सौ इकतीस करोड़ पैतीस लाख) रूपये मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं शेष बचे हुए कार्यों को राज्य योजना मद से पूर्ण कराने की स्वीकृति दी गई है।

2. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से ₹20867.00 लाख (दो सौ आठ करोड़ सड़सठ लाख रू०) मात्र आवंटित किया जाना है, जिसके विरूद्ध अबतक कुल ₹8900.00 लाख (नवासी करोड़ रू०) मात्र आवंटित किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–2 का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹33135.00 लाख (तीन सौ एकत्तीस करोड़ पैतीस लाख रू०) मात्र में से राशि ₹20867.00 लाख (दो सौ आठ करोड़ सडसठ लाख) रूपये मात्र राज्य योजना मद से आवंटित किया जाना है।

3. उक्त योजना की कार्यान्वयन हेतु प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना के पत्रांक–3666, दिनांक–29.12.2025 द्वारा ₹11967.00 लाख आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. उक्त वर्णित स्थिति एवं प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ–2 में वर्णित योजना के आलोक में स्तम्भ–5 में अंकित राज्य योजना मद से आवंटित की जाने वाली राशि के विरूद्ध स्तम्भ–7 में अंकित राशि ₹3200.00 लाख (बत्तीस करोड़ रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति राज्य योजना मद अंतर्गत जलापूर्ति योजना मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

क्र० सं०	योजना का नाम	संकल्प/दिनांक	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	राज्य योजना मद से आवंटन योग्य राशि	राज्य योजना मद से अब तक आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि (5–6–7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	भागलपुर जलापूर्ति योजना फेज–02	1947/ 02.05.2023	33135.00	20867.00	8900.00	3200.00	8767.00

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹3200.00 लाख (बत्तीस करोड़ रू०) मात्र।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹3200.00 लाख (बत्तीस करोड़ रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 227, दिनांक– 28.03.2025 एवं पत्रांक–950/वी0 दिनांक–12.12.2025 निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, भागलपुर के PL खाता सं०–BGPPLA013 तथा HOA–00–8448–00–102–0001–00–01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। तत्पश्चात् नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर द्वारा राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी बुडको को की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹3200.00 लाख (बत्तीस करोड़ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई उप मुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष 191– नगर निगम को सहायता उप शीर्ष 0101– पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड–48–2215011910101, विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. बिहार कोषागार सहित के नियम–288 के आलोक में यथा B.T.C- फॉर्म सं०–46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि (2), दिनांक 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं० 573, दिनांक 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9738, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी). बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनाक 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC–42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

9. योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार संवेदक/फर्म को राशि का भुगतान किया जाय। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के पत्रांक–2460, दिनांक–04.08.2025 का अनुपालन

सुनिश्चित कराया जाय तथा संवेदक/फर्म को किये गये भुगतान की सूचना प्रवर्तन निदेशालय एवं संबंधित अन्य जाँच एजेंसियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

10. उक्त राशि का व्यय संकल्प की शर्तों के अनुरूप, बिहार वित्त नियमावली, PWD Code एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्पों के आलोक में तथा वास्तविक किये गये कार्यों के MB के आधार पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पत्रांक–04/शहरी जलापूर्ति–18–09/2025 के पृष्ठ ....85.... पर दिनांक–19.01.26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–....88.... पर दिनांक–30.01.26 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,ह

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–04/शहरी जलापूर्ति–18–09/2025 481 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–07/2/26

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बुडको/आयुक्त, प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०–मेल करने हेतु प्रेषित।

7/2/26

सरकार के संयुक्त सचिव।